नव भारत
राष्ट्रहित का प्रहरी 1934 से

सीबीआई और नर्सिंग काउंसिल पेश करें जिम्मेदारों के खिलाफ कार्यवाही का ब्यौरा

जबलपुर, 28 अप्रैल. मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा तथा जस्टिस विनय सराफ की युगलपीठ ने नर्सिंग कॉलेज फर्जीवाडा मामले में सीबीआई, इंडियन नर्सिंग काउंसिल और मध्य प्रदेश नर्सिंग काउंसिल को हलफनामा के साथ प्रगति रिपोर्ट पेश करने निर्देश जारी किये है. युगलपीठ ने सीबीआई को निर्देशित किया है कि जांच में किन-किन व्यक्तियों या संस्थानों की संलिप्तता पाई और दोषियों के विरुद्ध की गयी दंडात्मक कार्रवाई के संबंध में विस्तृत जानकारी पेश करें.

गौरतलब है कि लॉ स्टूडेंट्स एसोसिएशन की तरफ से अधिवक्ता विशाल बघेल की तरफ से दायर जनहित याचिका में प्रदेश में खुले सैकड़ों फर्जी नर्सिंग कॉलेजों की मान्यता प्रक्रिया को चुनौती दी गई थी. याचिका में कहा गया था कि निर्धारित शर्तो का पालन नहीं करने के बावजूद भी कागजों में संचालित नर्सिंग कॉलेजों को मान्यता प्रदान की गयी है. हाईकोर्ट ने याचिका की सुनवाई करते हुए प्रदेश में संचालित नर्सिंग कॉलेज की जांच के निर्देश सीबीआई को दिये थे.

सीबीआई जांच के दौरान प्रदेश में संचालित 8 सौ नर्सिंग कॉलेजों में से करीब 6 सौ कॉलेज अनुपयुक्त या कमियों से भरे पाए गए थे. इन संस्थानों में भवन, लैब, लाइब्रेरी, अनुभवी शिक्षक और सौ बिस्तरों वाले अस्पताल जैसी अनिवार्य सुविधाएं नहीं थी. कई कॉलेज केवल कागजों पर चल रहे थे और कई प्रिंसिपल और शिक्षक 15-15 कॉलेजों में एक साथ कार्यरत दर्शाए गए थे.

याचिका पर पिछली सुनवाई के दौरान युगलपीठ को बताया गया कि प्रदेश में जीएनएम कोर्स संचालित करने वाले जो 117 नर्सिंग कॉलेज सीबीआई जांच में अपात्र पाये गए थे. इन कॉलेज के छात्रों को सुटेबल कॉलेज में स्थानांतरित करने के आदेश हाई कोर्ट द्वारा दिये गये थे. आदेश का परिपालन अभी तक नहीं किया गया है. इन कॉलेजों की अंतिम वर्ष की परीक्षाएं 28 अप्रैल से प्रस्तावित है. युगलपीठ ने हाईकोर्ट की अनुमति के बगैर कोई भी परीक्षाओं का आयोजन नहीं किया जाने के आदेश जारी किये थे.

याचिका पर मंगलवार को हुई सुनवाई के बाद युगलपीठ ने उक्त आदेश जारी किये. युगलपीठ ने इंडियन नर्सिंग काउंसिल और मध्य प्रदेश नर्सिंग काउंसिल को समय-समय पर अनुपयुक्त और मानक विहीन कॉलेजों को मान्यता देने के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध की गयी कार्यवाही के संबंध में हलफनामा पेश करने के आदेश जारी किये है.

सर्वोच्च न्यायालय में दायर पांच याचिकाओं के कारण ओबीसी आरक्षण मामले में सुनवाई बढी

ओबीसी आरक्षण संबंधित याचिकाओं की सुनवाई के दौरान मप्र हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा व जस्टिस विनय सराफ की युगलपीठ को बताया गया कि इस संबंध में सर्वोच्च न्यायालय में दायर पांच याचिका का स्थानांतरण हाईकोर्ट में नहीं हुआ है. युगलपीठ ने सुनवाई के बाद उन याचिकाओं के स्थानांतरण होने के बाद 13 मई से तीन दिनों तक सुनवाई के निर्देश जारी किये है. मप्र शासन की से युगलपीठ को बताया गया कि ओबीसी आरक्षण के संबंध में नियुक्त किये गये विशेष अधिवक्ता पक्ष प्रस्तुत नहीं करेंगे .गौरतलब है कि वर्ष 2019 में अशिता दुबे व अन्य की ओर से दायर याचिका में ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षण बढ़ाकर 27 प्रतिशत किए जाने को चुनौती दी गई थी.

56 लाख की वसूली पर लगाई हाईकोर्ट ने लगाई रोक

मप्र हाईकोर्ट के जस्टिस जेके पिल्लई की एकलपीठ ने धान उपार्जन केंद्र रैगवां, जिला पन्ना के केंद्र प्रभारी व समिति प्रबंधक को बड़ी राहत दी है. इसके तहत 56 लाख की वसूली पर रोक लगा दी है. साथ ही संबंधित अधिकारियों को कारण बताओं नोटिस जारी कर पूछा है कि बिना उचित सुनवाई और बिना यह बताए कि इतनी बड़ी राशि का निर्धारण किस आधार पर किया गया, किसी कर्मचारी पर सीधे नागरिक दायित्व नहीं थोपा जा सकता. दरअसल याचिकाकर्ता पन्ना निवासी बलराम उरमलिया की ओर से अधिवक्ता आर्यन उरमलिया ने पक्ष रखा. उन्होंने दलील दी कि जिला सहकारी केंद्रीय बैंक, पन्ना द्वारा जारी रिकवरी नोटिस चुनौती के योग्य है.

पावर प्लांट से जिले का होगा विकास

कमलनाथ ने न्यक्लियर पावर प्रोजेक्ट को लेकर अडानी से की चर्चा

छिंदवाड़ा, 28 अप्रैल. जिले के ग्राम चौसरा में थर्मल पॉवर प्लांट की जगह में न्यक्लियर पावर प्लाट चालू करने की दिशा में कवायद शुरू की गई है. इसको लेकर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहां कि छिंदवाड़ा के समग्र विकास के लिए हमारा संकल्प दृढ़ है.

वर्षों से जो भूमि अनुपयोगी पड़ी थी, उसे अब विकास की मुख्यधारा से जोडने का समय आ गया है. इसी उद्देश्य से छिंदवाड़ा में प्रस्तावित न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट को लेकर हमने गंभीरता से पहल की है. इस संदर्भ में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की गौतम अड़ानी से सकारात्मक चर्चा हुई है, ताकि क्षेत्र में निवेश और रोजगार के नए अवसर सृजित किए जा सकें. इस परियोजना से स्थानीय युवाओं को बड़े पैमाने पर रोजगार मिलेगा , क्षेत्र में उद्योग एवं व्यापार को नई गति मिलेगी, आधारभूत संरचना जैसे सड़क, बिजली और जल व्यवस्था मजबूत होगी, शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवाओं में विस्तार होगा ,वर्षों से बंजर पड़ी भूमि का सार्थक उपयोग सुनिश्चित होगा. श्री नाथ ने जोर दिया कि उनका हमेशा से प्रयास रहा है कि छिंदवाड़ा को विकास के मॉडल के रूप में स्थापित किया जाए. यह परियोजना उसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो क्षेत्र के भविष्य को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगी.

299 .614 हेक्टेयर दी गई थी जमीन

जानकारी अनुसार सिंगोड़ी के चौसरा में अडानी पावर लिमिटेड द्वारा थर्मल पॉवर प्लांट बनाया जाना था. 1320 मेगावॉट क्षमता वाले इस थर्मल पॉवर प्लांट के लिए अडानी पावर लिमिटेड को 299 .614 हेक्टेयर जमीन भी दी गई थी. इस ताप विद्युत परियोजना के लिए अडानी ग्रुप ने 39 .60 करोड़ रुपए की कमिटमेंट गांरटी भी एमपी पावर मैनेजमेंट कंपनी में जमा करा दी थी लेकिन किसी कारणवश यह प्रोजेक्ट बंद कर दिया गया था.

चंबल नदी पर शराब पार्टी में विवाद के बाद गोलियां चलीं, युवक को लगी दो गोलियां

भिंड, 28 अप्रैल. अटेर क्षेत्र में चंबल नदी किनारे दोस्तों के साथ पार्टी के दौरान फायरिंग हो गई. घटना में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसके पैर में दो गोलियां लगी हैं. घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए. अटेर रोड स्थित बंबा किनारा निवासी पूरन सिंह कुशवाह पुत्र रामरतन सिंह अपने कुछ साथियों के साथ चंबल नदी किनारे दाल टिक्कर और शराब की पार्टी मनाने गया था. इसी दौरान किसी बात को लेकर आपस में कहासुनी शुरू हो गई, जो देखते ही देखते गाली-गलौज और विवाद में बदल गई. विवाद के दौरान मौजूद आरोपियों में से एक ने अचानक बंदूक निकालकर फायरिंग कर दी. गोली पूरन सिंह के पैर में लगी, जिससे वह मौके पर ही गिर पड़ा. बताया गया है कि उसके पैर में दो गोलियां लगी हैं, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया. साथियों ने घायल पूरन को तुरंत अटेर अस्पताल पहुंचाया.

भोपाल रोड पर चलती बस में भीषण आग

देवास,28 अप्रैल. भोपाल रोड स्थित भौंरासा टोल टैक्स के पास मंगलवार को एक चलती बस में अचानक भीषण आग लग गई, जिससे मौके पर अफरा-तफरी मच गई. आग की लपटें इतनी तेज थीं कि कुछ ही देर में बस पूरी तरह जलकर खाक हो गई. घटना की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, बस में पहले धुआं उठता दिखाई दिया, जिसके बाद देखते ही देखते आग तेजी से फैल गई. प्रारंभिक जांच में आशंका जताई जा रही है कि तेज गर्मी के चलते शॉर्ट सर्किट से आग लगी हो सकती है, हालांकि वास्तविक कारणों की पुष्टि अभी नहीं हुई है। राहत की बात यह रही कि सभी यात्री समय रहते सुरक्षित बाहर निकल गए, जिससे कोई जनहानि नहीं हुई.

राजा रघुवंशी हत्याकांड में पत्नी सोनम को मिली जमानत

नवभारत न्यूज़

इंदौर, 28 अप्रैल. शहर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी हत्याकांड में बड़ा घटनाक्रम सामने आया है. मुख्य आरोपी पत्नी सोनम रघुवंशी को मेघालय के शिलॉन्ग कोर्ट ने चौथी सुनवाई में जमानत दे दी है. सोनम फिलहाल शिलॉन्ग जेल में बंद है और उसके जल्द रिहा होने की संभावना जताई जा रही है.

शिलॉन्ग पुलिस के सूत्रों के अनुसार कोर्ट ने अपने अधिकारों का उपयोग करते हुए उपलब्ध तथ्यों के आधार पर जमानत मंजूर की है. इधर, इंदौर में मृतक के भाई विपिन रघुवंशी ने नव भारत को बताया कि उन्हें वहां के वकील और पुलिस अधिकारियों से जानकारी मिली है कि सोनम को जमानत मिल चुकी है और संभव है कि उसे जल्द जेल से रिहा कर दिया जाए. जमानत के आधार को लेकर सामने आया है कि बचाव पक्ष ने गिरफ्तारी की प्रक्रिया पर सवाल उठाए थे. उनका तर्क था कि उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से सोनम को उठाते समय पुलिस ने स्पष्ट नहीं किया कि उसे किस मामले में हिरासत में लिया जा रहा है.

98 पुरुष व 24 महिला प्रत्याशी चुनाव मैदान में

जबलपुर। एमपी स्टेट बार चुनाव-2026 के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट के समक्ष लंबित सभी अपीलों का निराकरण कर दिया गया है। कोर्ट द्वारा उक्त सभी अपीलों को निरस्त कर दिया गया है। स्टेट बार 18 पुरूष सदस्य व पांच महिला सदस्यों को मिलाकर कुल 23 सदस्यों हेतु चुनाव प्रकिया प्रारंभ हो चुकी है। उक्त पद हेतु 98 पुरुष प्रत्याशी व 24 महिला प्रत्याशी चुनाव में भाग ले रहे हैं। मंगलवार 12 मई को मतदान संपन्न होगा। निर्वाचन अधिकारी न्यायमूर्ति एसके पालो के अनुसार सभी जिला-तहसील मुख्यालय में अधिवक्ता परिचय पत्र प्रस्तुत कर अपना मताधिकार का नियमानुसार उपयोग कर सकते हैं।

भर्ती प्रक्रियाओं को शीघ्र करें पूर्ण : शुक्ल

डिप्टी सीएम राजेन्द्र शुक्ल ने समीक्षा बैठक में दी हिदायत

भोपाल, दिनांक 28 अप्रैल. उप मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल ने मंत्रालय में लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के विभिन्न विषयों की विस्तृत समीक्षा की.

समीक्षा बैठक में विभागीय योजनाओं की प्रगति, लंबित प्रस्तावों एवं आवश्यक प्रशासनिक कार्यवाहियों की प्रगति की समीक्षा कर समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ बनाने के लिए भर्ती प्रक्रियाओं को प्राथमिकता के साथ समय पर पूर्ण किया जाए, जिससे आमजन को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएँ उपलब्ध हो सकें. उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने बुधनी, दमोह एवं छतरपुर मेडिकल कॉलेजों में टीचर्स के रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया को गति देने के निर्देश दिए. स्वास्थ्य संस्थाओं में लंबित आउटसोर्स पदों पर भर्ती के लिए सभी जिलों में आवश्यक कार्यवाही करने के लिए कहा.

उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने स्वास्थ्य विभाग द्वारा संचालित नर्सिंग कॉलेजों की उत्तीर्ण छात्राओं को नियुक्ति में सभी जिलों का विकल्प प्रदान करने संबंधी कार्यवाही भी प्राथमिकता से करने के निर्देश दिए. उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने परियोजना परीक्षण समिति एवं व्यय वित्त समिति को भेजे जाने वाले प्रस्तावों की वृहद समीक्षा की.